

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी०सी०आर्य)

दांडिक

अपील क्रमांक: 63/2010

रामप्रकाश पुत्र तेज सिंह,
उम्र-36 साल, निवासी-गौहद चौराहा गोहद,
जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

-----अपीलार्थी/आरोपी

वि रु द्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र मौ, जिला-भिण्ड (म०प्र०) -----प्रत्यर्थी/अभियोगी

राज्य द्वारा श्री संजय शर्मा अपर लोक अभियोजक
अपीलार्थी/आरोपी द्वारा श्री ओ०पी० यादव अधिवक्ता

न्यायालय-श्री मनीष शर्मा, जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक प्रकरण
क्रमांक-644/2003 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 23/7/2009 से
उत्पन्न दांडिक अपील ।

-::- निर्णय -::-

(आज दिनांक 17 जून, 2014 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अपीलार्थी/आरोपी रामप्रकाश की ओर से उक्त दांडिक अपील धारा-374 द०प्र०सं० 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे०एम०एफ०सी० गोहद श्री मनीष शर्मा द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 644/2003 निर्णय दिनांक-23/7/2009 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है । जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा-429 भा०दं०सं० के अपराध में 6 माह के सश्रम कारावास और पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था ।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि आरोपी/अपीलार्थी म०प्र० परिवहन निगम का कर्मचारी होकर चालक रहा है ।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि

दिनांक-6/2/2003 के श्याम 5 बजे अस्पताल मौ के सामने फरियादी निजाम की बकरियां चारा खाकर आ रही थी, तो रोडवेज की बस क्रमांक-एम.पी. डब्लू-1629 के चालक द्वारा वाहन को तेजी से चलाकर लाते हुए बकरी को टक्कर मार दी, जिससे बकरी के सिर का दाहिनी तरफ का सींग टूट गया और व मौके पर ही मर गयी। चालक बस को लेकर मेहगांव तरफ ले गया । मौके पर रामौवतार व अन्य लोगों ने घटना देखी । जो बकरी मरी उसकी कीमत करीब 2500 रुपये थी । जिसकी रिपोर्ट थाना मौ जिला भिण्ड में जाकर की, जिसपर अपीलार्थी/आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-15/2003 तहत प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट दर्ज की गयी व बकरी का शव परीक्षण कराया । विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र विचारण हेतु सक्षम जे.एम.एफ.सी. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

4. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा-429 भा0दं0सं0 के तहत आरोप लगाये जाने पर आरोपी को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोप से इंकार किया, उसका विचारण किया गया । विचारणोपरांत अपीलार्थी को धारा-429 भा0दं0सं0 में छः माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह दांडिक अपील प्रस्तुत की गयी है ।

5. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से प्रस्तुत किए गये अपीलीय ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया है कि अ.सा.-1 जो कि फरियादी है, उसने न्यायालयीन कथन में बकरी को टक्कर मारने वाली बस का नंबर नहीं देखना बताया है । इसी प्रकार अ.सा.-3 रामौतार घटना के बाद में पहुंचना बताते हुए घटना दिनांक को शाम 7 बजे तक बैठा रहना बताता है । इस साक्षी ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। उसने कहीं भी रिपोर्ट करने एवं कार्यवाही करने का समर्थन नहीं किया है । अभियोजन साक्षी क्रमांक-2 जमुनाप्रसाद जो कि स्वतंत्र साक्षी है, उसने भी बस चालक का नाम नहीं बताया है एवं आरोपी को नहीं जानता है, ऐसा अभिवचन भी दिया है । चिकित्सक अ.सा.-04 एवं फरियादी द्वारा बतायी गयी चोटों में भिन्नता है । उपरोक्त कारणों से अभियोजन कहानी शंकास्पद हो जाती है और

महत्वपूर्ण व सुसंगत विरोधाभास पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया और विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को अनदेखा करते हुए निर्णय पारित किया है, इसलिये अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय अपास्त की जावे और अपीलार्थी/आरोपी को दोषमुक्त किया जावे एवं उसका अर्थदण्ड वापिस दिलाया जावे ।

6. अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय ज्ञापन में बताये बिन्दुओं और लिये गये आधारों के अनुरूप ही अपने मौखिक तर्क किए हैं, साथ ही विकल्प में यह निवेदन भी किया है कि मामला वर्ष 2003 का होकर पुराना है, अपीलार्थी करीब 11 साल से अभियोजन का सामना कर रहा है, अतः उसे अर्थदण्ड पर छोड़ने का निवेदन भी किया गया है । जिसका विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा कड़ा विरोध किया गया है कि उसे विचाराधीन आरोप से उदारतापूर्वक नहीं छोड़ा जा सकता है और अपील सारहीन होने से निरस्त की जावे और अपीलार्थी/आरोपी को उचित दण्डाज्ञा से दण्डित किया जावे ।

7. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य

रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

1- "क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपी के विरुद्ध आरोपित

अपराध प्रमाणित मानकर उसे इस अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित करने

विधि या तथ्य की भूल की गई है?"

2- क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है ?

—::— **निष्कर्ष के आधार** —::—

8. परीक्षित साक्षियों में से डाक्टर एम0एस0 कुशवाह अ0सा0-4 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक-6/2/2003 को जनपद पंचायत गोहद में पशु चिकित्साधिकारी के पद पर रहते हुए दूरभाष पर दिन के करीब 3 बजे दुध टिना में बकरी की मृत्यु की सूचना मिलने पर कस्बा मौ जाकर शाम करीब 5:30 बजे पोस्टमार्टम करना बताते हुए बकरी की दाहिनी तरह का सींग और मेडुअल हड्डी व पुट्टे पर जख्म और जबड़े में खून जमा होना बताते हुए

प्रदर्श डी-03 की रिपोर्ट तैयार करना बताया है और बकरी की मृत्यु किसी कठोर वस्तु से अत्यधिक रक्तस्राव के कारण होना बतायी है । जिसके अंदरूनी अंग सामान्य थे, चोट 2-3 घण्टे के भीतर की थी । ऊँचाई से गिरने पर भी आई चोट, आना संभव बताया है । उक्त चिकित्सक ने प्रदर्श पी.-3 की शव परीक्षण रिपोर्ट को प्रमाणित किया है, जिससे बकरी की मृत्यु चोट के कारण होना प्रमाणित होती है । किसी रोग से नहीं हुई है । अभियोजन कथानक में आरोपी के द्वारा रोडवेज बस क्रमांक— एम.पी. डब्ल्यू-1629 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाते हुए निजाम खां की बकरी को अस्पताल के सामने आम रोड पर की गयी दुर्घटना में होना बताया गया है इसलिये यह देखना होगा कि क्या उक्त दुर्घटना आरोपी/अपीलार्थी द्वारा ही की गयी और उस वाहन चालन में आरोपी/अपीलार्थी द्वारा उपेक्षा या उतावलापन बरता गया ।

9. इस संबंध में बकरी स्वामी निजाम खां के द्वारा प्रदर्श पी.-1 की रिपोर्ट बस क्रमांक— एम.पी. डब्ल्यू-1629 एम.पी.एस.आर.टी. के चालक के विरुद्ध की गयी थी। निजाम अ.सा.-01 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसे मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि बस को आरोपी/अपीलार्थी चला रहा था और मौके पर जमुना एवं अन्य लोगों ने देखा था । बस काफी रफतार से चल रही थी और उसकी बकरी को टक्कर मार दी थी, जिससे बकरी मौके पर मर गयी थी, जो आरोपी की गलती से मरी, जिसकी उसने प्रदर्श पी.-1 की रिपोर्ट की थी । उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना वाले दिन वह घर पर था और अपनी दुकान पर बैठा था, दिन के करीब 3 बजे उसे बकरी की खबर मिली थी, तब वह मौके पर गया था और घटना के 10 मिनट बाद पहुंचा था । उसने टक्कर मारते हुए नहीं देखा । उक्त साक्षी का अभिसाक्ष्य प्राकृतिक रूप का है और मुख्य रूप से घटना को जमुना व रामअवतार व अन्य लोगों के द्वारा देखना बताया है। ऐसे में जमुना, रामअवतार और मोके के अन्य व्यक्ति महत्वपूर्ण साक्षी हो जाते हैं और प्रकरण में जमुनाप्रसाद अ.सा.-2 के रूप में, रामअवतार अ.सा.-3 के रूप में परीक्षित हुआ है । दोनों ने ही मृत बकरी निजाम की बतायी है । आरोपी के द्वारा रोडवेज की बस को चलाना और बकरी में टक्कर लगते हुए देखना

बताया है । जमुनाप्रसाद ने 40—50 कदम की दूरी से एक्सीडेंट देखना कहा है और रामअवतार ने बस का नंबर भी बताया है तथा घटनास्थल पर भीड़भाड़ होने पर वाहन धीमी गति से चलना स्वीकार किया है, किन्तु यह स्पष्ट किया है कि घटना वाले दिन भीड़ नहीं थी और दिन के 2:30 —3:00 बजे का समय था ।

10. उसके अलावा उसके साथ मौके पर किशन, सुन्दन भी गये थे । किशन, सुन्दर साक्षियों के रूप में परीक्षित नहीं है, किन्तु उससे अभियोजन साक्षी क्रमांक—2 और 3 का अभिसाक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाती है और फरियादी द्वारा मौके पर उसके सामने नक्शा मौका नहीं बनाया जाना अवश्य पैरा—4 में स्वीकार किया है, किन्तु उससे संपूर्ण अभिसाक्ष्य अग्राह्य नहीं होगा । विवेचना को प्रधान आरक्षक रामदीन केवट ने अपनी अभिसाक्ष्य में प्रमाणित किया है । आरोपी की ओर से रंजिशन झूठा फंसाये जाने का आधार लिया है, किन्तु फरियादी से उसकी किसी प्रकार की रंजिश है, इस बारे में वह मौन है, इसलिये रंजिश का लिया गया बिन्दु औपचारिक ही माना जावेगा ।

11. ऐसी स्थिति में अभिलेख पर इस प्रकार की साक्ष्य आयी है, उससे देखते हुए दिनांक—6/2/2003 के दिन के करीब 3 बजे पुराने अस्पताल के सामने मौ रोड लोक मार्ग पर आरोपी/अपीलार्थी के द्वारा रोडवेज की बस क्रमांक— एम.पी. डब्ल्यू—1629 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाया जाना और निजाम खां की बकरी में टक्कर मारना, जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हुई युक्ति युक्त संदेह के परे प्रमाणित होता है । अतः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा—429 भा0दं0सं0 में आरोपी/अपीलार्थी की, की गयी दोषसिद्धि पुष्टि योग्य है, क्योंकि धारा—429 भा0दं0सं0 के अपराध के लिए बकरी की कीमत महत्वहीन है । अतः दोषसिद्धि के बिन्दु पर प्रस्तुत दाण्डिक अपील स्वीकार योग्य न होने से निरस्त की जाती है और दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है ।

12. जहां तक दण्डाज्ञा का प्रश्न है । आरोपी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने विकल्प में मामला पुराना होने और आरोपी/अपीलार्थी के शासकीय सेवक होने से नर्म रुख अपनाये जाने और मामूली अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ने की प्रार्थना की है, जिसका ए.जी.पी. द्वारा विरोध किया गया है कि सड़क दुर्घटनाएं अधिक हो रही हैं, इसलिये कारावास से दण्डित किया जावे ।

13. दण्ड के बिन्दु पर अभिलेख का परिशीलन करने पर आरोपी/अपीलार्थी विचारण के दौरान दिनांक-20/4/2009 से 24/4/2009 की अवधि में न्यायिक निरोध में रह चुका है तथा रोडवेज का चालक रहा है, उसके विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धी का कोई प्रमाण नहीं है । घटना वर्ष 2003 की है और करीब 11 वर्षों तक लंबा समय मुकदमें में व्यतीत किया गया है । दुर्घटना में पालतू बकरी की मृत्यु हुई है, जिसकी कथानक में कीमत करीब 2500/- रुपये आंकलित की गयी थी, ऐसी स्थिति में न्यायिक निरोध में काटी गयी अवधि को देखते हुए आरोपी/अपीलार्थी को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 06 माह के सश्रम कारावास से दिये गये दण्ड को कठोर दण्ड की श्रेणी में माना जा सकता है और ऐसे मामले में उक्त परिस्थिति में अर्थदण्ड ही पर्याप्त दण्डादेश होगा । फलतः दण्डाज्ञा के बिन्दु पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और आरोपी/अपीलार्थी रामप्रकाश को धारा-429 भा0दं0सं0 में 06 माह के सश्रम कारावास को अपास्त करते हुए अर्थदण्ड में अभिवृद्धि करते हुए **पांच हजार रुपये** अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । जिसमें अधीनस्थ न्यायालय में जमा किया गया **पांच सौ रुपये** का अर्थदण्ड समायोजित किया जावे । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी/अपीलार्थी को **तीन माह** का साधारण कारावास भुगताया जावे । अर्थदण्ड जमा होने पर आहत निजाम को बकरी की क्षतिपूर्ति बाबत अर्थदण्ड में से **दो हजार रुपये** धारा-357 द.प्र.सं. के तहत बतौर प्रतिकर दिये जावें ।

14. अपीलार्थी/आरोपी के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत मुचलके आगामी 06 माह तक प्रभावी रखते हुए तत्पश्चात भारमुक्त किये जाते हैं ।

15. प्रकरण में जप्तशुदा बस पूर्व से सुपुर्दगी पर होने से

अपील/निगरानी अवधि पश्चात सुपुर्दगीनामा निरस्त समझा जावे।
अपील/निगरानी होने की दशा में अपीलीय/निगरानी न्यायालय के निर्णय
अनुसार निराकरण हो ।

दिनांक: 17 जून 2014

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड